निवृत्ति पाण्डूरंग कोकटे व अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

आपराधिक अपील संख्या 345/2008

19 फरवरी, 2008

बैंचः-न्यायमूर्ति डाॅ0 अरिजित पसायत एवं पी0 सदाशिवम

दण्ड संहिता 1860-धारा 302 और 201 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता हत्या-बाल साक्षी ने बताया कि उसने अपने पिता को मां व अन्य व्यक्तियों द्वारा मारते हुए देखा-अभियुक्त की दोषसिद्धि- बाल साक्षी के साक्ष्य पर औचित्य-पुष्टि, न्यायसंगत- बाल साक्षी का साक्ष्य-संक्षिप्त, महत्वपूर्ण, विनिर्दिष्ट एवं सत्य था- उसमें आभासीपन नहीं था- धारा 118 साक्ष्य अधिनियम 1872

साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118- बाल साक्षी का साक्ष्य-गृहणीय-क्षेत्र-एक बाल साक्षी को साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है-यदि एक बाल साक्षी को प्रश्नों को समझने तथा उक्त प्रश्नों का तर्क संगत उत्तर देने की उसके पास क्षमता है। किसी बाल साक्षी के साक्ष्य को स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता, परन्तु न्यायालय प्रज्ञा के नियम के तहत ऐसे साक्ष्य पर सूक्ष्मता से विचार करती है।

अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी नं. 1, अपीलार्थी नं. 2 व 3 के साथ विवाहोत्तर संबंध में थी, तब से ही अपीलार्थी नं. 1 के पति ने इस पर आपत्ति जताई थी। उक्त तीन अपीलकर्ताओं ने, अपीलार्थी सं. 4 के साथ मिलकर उसकी हत्या की और शव को गढ्ढे में दफना दिया। अपीलांट सं. 4 मृतक एवं अपीलांट संख्या 1 का पुत्र था।

पीडब्ल्यु-13 जो कि घटना के समय मृतक की पुत्री थी, के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए जो 12 वर्ष की थी, निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 और 201 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धि को इस न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक तौर पर चुनौती दी गई कि-

अपीलकर्ताओं की सजा को इस अदालत के समक्ष मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि निचली अदालतों द्वारा बाल साक्षी पीडब्ल्यु-13 की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुएः, अभिनिर्धारित किया-

1.1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सक्षम साक्षी की आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, धारा 118 में विहित है कि सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी होंगे जब तक न्यायालय के विचार में उनसे किए प्रश्नों का उत्तर देने में तर्क संगत प्रश्नों का उत्तर देने से वह कोमलवय, अत्यधिक उम्र, बीमारी, मानसिक या अन्य शारीरिक बीमारी के कारण, निवारित न हो। एक कोमलवय के बालक को साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है यदि वह प्रश्नों

को समझने तथा उनका तर्क संगत उत्तर देने की बुद्धिमता रखता हो।[पैरा 8] [पैरा 48 जी, 49-ए, बी]

1.2 एक बाल साक्षी की साक्ष्य प्रारम्भ से ही अस्वीकर नहीं की जाती है लेकिन न्यायालय को बुद्धिमता के नियत के तहत ऐसे साक्ष्य की सुक्ष्मता से जांच करनी है। उसकी गुणवत्ता बनाये रखते हुए तथा उसके आधार पर दोषसिद्धि पर दोषसिद्धि अभिलिखित करनी चाहिये।[पैरा 8] [पैरा 48 जी, 49-बी, सी]

1.3- पीडब्ल्यु-13 की आयु परीक्षण के समय लगभग 12 वर्ष मानी गई। उसक साक्ष्य दिखती है कि मृतक अपनी झोपड़ी में अकेला सो रहा था। पीडब्ल्यु-13 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी मां अपीलकर्ता संख्या 1 ने उसके पिता का खून पानी की बाल्टी व कपड़े से साफ किया और उसने घर के बाहर डाल दिया। अपीलकर्ता ने घर की फर्श की टाइल्स पर शाल बिछाया। उन्होंने शाल में मृत शरीर को रखा तथा शव के उपर बोरा डाल दिया। उन्होंने शाल को पकड़कर उसे उठाया। उनके खेत पर शव को ले गए। उसे गढ्ढे में दफना दिया। उसके बाद वे अपने घर को लौटे। अपीलकार्ता संख्या 2 व 3 अपने घर चले गये। अपीलकर्ता संख्या 1 घर में देखी गई जहां मृतक मारा गया था और झौंपड़ी में सोने के लिए चली गई।

[पैरा6,7,8] [पैरा49-बी, सी, डी, ई, जी]

1.4- पीडब्ल्यु-13 का साक्ष्य संक्षिप्त और सटीक एवं साथ ही

विनिर्दिष्ट व सही है।यह बढ़ाचढ़ा कर नहीं दिया गया है। जो बच्चे द्वारा देखा गया साक्ष्य है, असामान्य औरपाशविक घटना। वह कोमलवय बालिका थी जिसने अपने पिता को मां व अन्य द्वारा मारते हुए देखा।(पैरा 7)(48-ई,एफ)

सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य (2001) 9 एससीसी 12, दत्त रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य(1997)5 एससीसी 341 एवं रतन सिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य(2004)1एससीसी 64-भरोसा किया गया।

व्हीलर बनाम यूनाइटेड स्टेट 159 यूएस 523-निर्दिष्ट किया गया।

2. पीडब्ल्यु-13 बाल साक्षी की ग्राह्ता के विवाद के अतिरिक्त अन्य विनिर्दिष्ट तथ्य जो भी सुसंगत है। हमले के हथियार की बरामदगी से आगे की जांच शुरू हुई। पीडब्ल्यु-9 जो दुकानदार है। अपीलकर्ता संख्या 3 को उक्त हथियार घटना की दिनांक को बेचा। पीडब्ल्यु-11 ने बताया कि अपीलकर्ता सं. 4 द्वारा अन्य खरीददारी का अनुसरण कर 9 किलो नमक खरीदा। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने बताया कि नमक का कार्य संरक्षित करना है। मृतक का अपनी पत्नी के साथ अनबन का रिश्ता था और यह रिश्तेदार जानते थे। थोड़ी दूरी से कृषि भूमि के गढ्ढे में से शव की बरामदगी भी सुसंगत है। (पैरा-6)(48ए,बी,सी)

3. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर विचारण न्यायालय और उच्च

न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता के लायक कोई कमी नहीं है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 345 सन् 2008

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डाॅ0 अरीजित पसायत द्वारा दिया गया।

1. विशेष अनुमति याचिका स्वीकार की गई।

2. इस अपील में बाॅम्बे उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय को चुनौति दी गई। प्रत्येक अपीलांट भारतीय दण्ड संहिता 1860(संक्षेप में आईपीसी) की धाराओं 302 और 201 सपठित धारा 34 में दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि किया गया था। कथित तौर पर एक की हत्या करने के लिए सबन मिसल(इसके बाद मृतक के रूप में संबोधित किया गया) 09 व 10 जुलाई 1998 की मध्य रात्री के अपराध करने के लिए अतिरिक्त कथन था कि घर से थोड़ी दूरी पर उसे उसकी कृषि भूमि में दफनाया गया। जो रंजना सबन मिसल अभियुक्ता संख्या 1 थी वह उच्च न्यायालय के समक्ष मर चुकी थी और इसलिए अपील अबेट हो गई थी। जहां तक उसका संबंध है। अपीलकर्ता संख्या 2 व 3 को उसका प्रेमी होने का दावा किया गया था। अपीलकर्ता संख्या 4 अपीलकर्ता संख्या 1 मृतक का पुत्र है। उसके अन्य भाई-बहिनों में से एक घटना के चक्षु साक्षी के रूप

में परीक्षित किया था।

3. संक्षेप में अभियोजन का विवरण था कि मृतका अपीलार्थी रंजना के अपीलकर्ता 2 व 3 के साथ विवाहोत्तर संबंध थे। चूंकि मृतक ऐसी गतिविधियों का विरोध करता था। उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर मृतक की हत्या कारित की और अपने घर के नजदीक अपने स्वयं की कृषि भूमि में शव को गाढ़कर निस्तारित किया तथा खून, कपड़ों के खून के धब्बे और वस्तुओं को निस्तारित किया।

4. आरोपी व्यक्तियों का मामला इंकार का था। विचारण न्यायालय ने पीडब्ल्यु-13 मृतक की पुत्री के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए जिसकी घटना के समय आयु 12 व 13 वर्ष थी, आरोपीगण को दोषी पाया।

5. अपील के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पीडब्ल्यु-13 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये था। यह भी निवेदन किया कि मृतक की खोज में अस्पष्ट देरी थी और अन्ततः गुमशुदगी रिपोर्ट दी गई थी। राज्य की ओर से विद्वान् काउन्सेल ने दूसरी ओर से समर्थन किया।

6. हम बाल साक्षी पीडब्ल्यु-13 की साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विचार करेंगे। कुछ अन्य तथ्य विद्यमान है जो भी सुसंगत है। अनुसंधान के दौरान आक्रमण का हथियार बरामद किया गया है। पीडब्ल्यु-9 दुकानदार ने घटना के दिन उक्त हथियार आरोपित संख्या 3 को बेचा है। अन्य गवाह पीडब्ल्यु-

11 जिसने बताया है कि आरोपित संख्या 4 ने 9 किलो नमक उससे खरीदा था। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने बताया है कि नमक संरक्षण का कार्य करता है। जहां तक पीडब्ल्यु-13 की साक्ष्य का संबंध है। मृतक अकेला झौपड़ी के अन्दर सो रहा था और उसका भाई खाना खा रहा था। यह एक प्रकार से ठोस साक्ष्य है कि मृतक की पत्नी उसके साथ अजनबी का व्यवहार करती थी और इस तथ्य को उसके सभी सगे-संबंधी जानते थे। मृतक का शव थोड़ी दूर पर ही कृषि भूमि के गढ्ढे से बरामद हुआ था।

7. पीडब्ल्यु-7 ने साक्ष्य दिया है कि उसकी माता मृतक की पत्नी अपीलकर्ता संख्या 1 है व उसके पिता के खून को कपड़े से बाल्टी में साफ कर रही थी जो उसने उसके घर के बाहर डाला। अपीलकर्ताओं ने घर की टाईल्स पर शाल बिछाया और उस पर मृतक की डेड बाडी रखी तथा उसे बोरे से ढक दिया। सभी ने मिलकर शाल को उठाया और बोरी को लेकर खेत में चले गये और गढ्ढे में गाढ़ दिया। तत्पश्चात् वह घर को लौट गये। आरोपित संख्या 2 व 3 अपने-अपने घर चले गये। आरोपित संख्या 1 ने अपने घर को ताला लगाया जहां मृतक मारा गया था और वह झौपड़ी में सोने के लिए चली गई जहां पर उसका भाई जो पहले से ही घटना कारित कर सो रहा था। उसकी साक्ष्य संक्षिप्त व सटीक है। विनिर्दिष्ट व ज्वलन्त है। इसमें किसी भी प्रकर की छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह बालक की साक्ष्य जो सामान्य व घातक घटना के संबंध में है वह कोमलवय आयु की

बालिका थी जिसने अपने पिता को मां व अन्य द्वारा मारे जाते हुए देखा था।

8. गवाह की आयु साक्ष्य के समय 12 वर्ष मानी गई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सक्षम साक्षी के लिए किसी प्रकार की आयु निर्धारित नहीं की गई है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 बताती है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम है जब तक कि न्यायालय के विचार में वह उनसे किये गये प्रश्नों को समझने व उनका तर्क संगत उत्तर देने में असामान्य न हो। साथ ही साथ वह अपनी कोमलवय आयु, अत्यधिक उम्र, बीमारी, मानसिक स्थिति के कारण न्यायालय द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ न हो। एक कोमलवय बालक को साक्ष्य देने के लिए अनुमति दी जा सकती है यदि वह बुद्विमता क्षमता व उससे किये गये प्रश्नों का तर्क संगत जवाब देने के लिए सक्षम हो। इस स्थिति को संक्षिप्त रूप में व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमरिका(159 यूएस 523) में जस्टिस ब्रेवर ने बताया है। बाल साक्षी की साक्ष्य को प्रारम्भ से रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु न्यायालय प्रज्ञा के नियम के तहत ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है और उसकी संक्षिप्त जांच कर सकता है। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता पर भी विचार कर सकता है व उसकी विश्वसनीयता पर विचार करते हुए दोषसिद्धि ठहरा सकता है।

9. इन दत्तु रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1997(5)एससीसी

341) में निम्न प्रकार से पुष्टि की गई हैः-

> "एक बाल साक्षी यदि सक्षम साक्षी पाया जाता है तो तथ्यों के अनुसार तो उसकी साक्ष्य पर विश्वास करते हुस दोषसिद्धि की जा सकती है। अन्य शब्दों में शपथ की अनुमति के कारण बाल साक्षी की साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 द्वारा साक्षी के उपलब्ध होने के उपरांत ऐसा साक्षी प्रश्नों को समझने का उनका उत्तर देने की क्षमता रखता हो। बाल साक्षी की साक्ष्य और विश्वसनीयता का प्रत्येक केस का परिस्थितियों के उपर निर्भर करेगी। सावधानियां जो न्यायालय द्वारा बरती जानी चाहिये तथा बाल साक्षी की साक्ष्य को ग्रहण की जानी चाहिये। बाल साक्षी स्वयं एक विश्वसनीय साक्षी होता है तथा उसकी भावभंगीमा के बारे में भी विचार किया जाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उसे सिखाया-पढ़ाया नहीं गया हो।"

प्रश्नों का निर्धारण करने के समय यह देखा जाना चाहिये कि बाल साक्षी प्राथमिक रूप से बुद्धिमान हो तथा उसे किये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह सक्षम हो। न्यायालय उसकी गुणवत्ता को परखने के लिए व उसकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए उससे प्रश्न कर सकता है।

बुद्धिमता, साथ ही साथ समझदारी शपथ की बाध्यता काे भी समझना चाहिये। विचारण न्यायालय का निर्णय उच्चतर न्यायालयों के निर्णय पर बाधित होता है। यह स्पष्ट है कि उनका निष्कर्ष गलत था। यह पूर्व सावधानी आवश्यक थी, क्योंकि बाल साक्षी को पढ़ाया-समझाया जा सकता है और अक्सर उन पर विश्वास किया जाता है। यद्यपि यह सुस्थापित सिद्वांत है कि बाल साक्षी खतरनाक साक्षी है और वह आसानी से प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें सिखाया-पढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह सुस्थापित सिद्वांत है कि यदि उनकी साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक न्यायालय द्वारा किया जाता है तो वह सत्य को प्रभावित कर सकते हैं। बाल साक्षी की साक्ष्य को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

10. उपरोक्त प्रकार के निर्णय रतन सिंह दलसुख भाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2004(1) एसएससी 64) में प्रतिपादित किया गया है। विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर उनमें हस्तक्षेप करने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है।

11. अतः तदनुसार अपील निरस्त की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार अटल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।